

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 158 सन 2015

अनवान :-

1. रिछपाल पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामस्वरूप (मृतक) जरीये वारिसान, चुन्नीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सरबती पत्नी सुखबीर पुत्री बुधाराम जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

रामस्वरूप (मृतक) जरीये वारीसान (3 ता 9)

4. हीरालाल 4. शंकर 5. मोहन 6. पूर्णाराम 7. राकेश पुत्रगण रामस्वरूप (मृतक) पुत्र श्योलाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. दर्शना पुत्री रामेती पुत्री रामस्वरूप (मृतक) नाबालिग जरीये कुदरती पिता मस्तानसिंह जाति मेघवाल निवासी जमाल निवासी चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
9. गोमती पत्नी पुरखाराम मेघवाल रामस्वरूप (मृतक) नाबालिग जरीये कुदरती पिता मस्तानसिंह जाति मेघवाल निवासी जमाल निवासी चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
10. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

श्री अंजनी कुमार तिवाड़ी अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 09/12/2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के ख०न० 779 की 11 बीघा 13 बिस्वा व ख०न० 781 की 26 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुल 38 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार कास्तकार होने के कारण सीव लगान कास्त आदि का झगड़ा रहता है वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है तथा इसलिए वादी अपना खाता व लगान मुताबिक कब्जा कास्त एवं अपने हक व हिस्सा अनुसार प्रतिवादीगण से अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से श्री अंजनी कुमार तिवाड़ी अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 ने जवाब दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त उपस्थित नहीं अतः प्रतिवादीगण संख्या 2 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वाद वादी प्राथमिकी किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा के ख0न0 779 की 11 बीघा 13 बिस्वा व ख0न0 781 की 26 बीघा 15 बिस्वा भूमि कुल 38 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाशकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 578/569 के ख0न0 779 की 2.9460 हैक्ट व ख0न0 781 की 6.7660 हैक्ट कुल 9.7120 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 अमीलाल पुत्र बुधराम हि0 3/4 जाति मेघवाल सा0 देह हाल नोहर खतोदार रहन— हिस्सा 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा स्टेशन रोड़ नोहर, सरबती पत्नी सुखबरी पुत्री बुधराम हि0 1/4 जाति मेघवाल सा0 देह हाल पोहड़का तह0 ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) — ख0न0 781/1 की 4.8560 कुल रकबा 4.8560 हैक्ट बारानी प्रथम
- 2 गोमती पुत्री रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, चुन्नीलाल पुत्र रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, दर्शना पुत्री रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, पूर्णाराम पुत्र रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, मोहनलाल पुत्र रामस्वरूप रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, राकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, रिछपाल पुत्र श्योलाल हि0 1/2 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, शंकरलाल पुत्र रामस्वरूप रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार, हीराराम पुत्र रामस्वरूप रामस्वरूप हि0 1/16 जाति मेघवाल सा0 गोरखाना खातेदार— ख0न0 779 की 2.9460 हैक्ट, ख0न0 781/2 की 1.9100 हैक्ट कुल 4.8560 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

a1
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

वाद पत्र सं० : 158 सन 2015

अनवान :-

1. रिछपाल पुत्र श्योलाल जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रामस्वरूप (मृतक) जरीये वारिसान, चुन्नीलाल पुत्र रामस्वरूप जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सरबती पत्नी सुखबीर पुत्री बुधराम जाति मेघवाल निवासी पोहड़का तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

रामस्वरूप (मृतक) जरीये वारीसान (3 ता 9)

4. हीरालाल 4. शंकर 5. मोहन 6. पूर्णाराम 7. राकेश पुत्रगण रामस्वरूप (मृतक) पुत्र श्योलाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. दर्शना पुत्री रामेती पुत्री रामस्वरूप (मृतक) नाबालिग जरीये कुदरती पिता मस्तानसिंह जाति मेघवाल निवासी जमाल निवासी चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
9. गोमती पत्नी पुरखाराम मेघवाल रामस्वरूप (मृतक) नाबालिग जरीये कुदरती पिता मस्तानसिंह जाति मेघवाल निवासी जमाल निवासी चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)
10. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 20 सन 2016 निर्णय दिनांक -09/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं० 578/569 के ख०न० 779 की 2.9460 हैक्ट व ख०न० 781 की 6.7660 हैक्ट कुल 9.7120 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. अमीलाल पुत्र बुधराम हि० 3/4 जाति मेघवाल सा० देह हाल नोहर खतोदार रहन— हिस्सा 1/2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा स्टेशन रोड़ नोहर, सरबती पत्नी सुखबरी पुत्री बुधराम हि० 1/4 जाति मेघवाल सा० देह हाल पोहड़का तह० ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) — ख०न० 781/1 की 4.8560 कुल रकबा 4.8560 हैक्ट बारानी प्रथम
2. गोमती पुत्री रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, चुन्नीलाल पुत्र रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, दर्शना पुत्री रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, पूर्णाराम पुत्र रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, मोहनलाल पुत्र रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, राकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, रिछपाल पुत्र श्योलाल हि० 1/2 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, शंकरलाल पुत्र रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार, हीराराम पुत्र रामस्वरूप हि० 1/16 जाति मेघवाल सा० गोरखाना खातेदार— ख०न० 779 की 2.9460 हैक्ट, ख०न० 781/2 की 1.9100 हैक्ट कुल 4.8560 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर